बिहार सरकार

# पशुपालन निदेशालय, बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

**पत्रांक** - 11 नि0 विधि (1) – 24/2017 ................ **दिनांक** -

प्रेषक,

डॉ0 जागृति प्रसाद सिंह,
संयुक्त निदेशक (प0 स्वा0)।

सेवा में,

सहायक निदेशक (प0 वि0),
वृहत पशु विकास परियोजना,
शुक्र भंडारण केन्द्र, बड़हिया, लखीसराय।

विषय :– **माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश संख्या–13838/2017 में दिनांक–24.04.2018 में पारित आदेश के आलोक में अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–2746 (नि0), दिनांक–24.08.2017 एवं पशुपालन आदेश, ज्ञापांक–2718 (नि0), दिनांक–22.08.2017**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री भास्कर पाण्डेय, सेवा निवृत्त शुक्रवाहक को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ सहित सभी सेवान्त लाभ का भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया था एवं सेवान्त लाभ का भुगतान संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन के साथ पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–1581 (नि0), दिनांक–30.05.2018 एवं पत्रांक–1654 (नि0), दिनांक–05.06.2018 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सशरीर उपस्थित होने का स्पष्ट निदेश दिया गया था लेकिन आपके द्वारा सशरीर न उपस्थित होकर अपूर्ण प्रतिवेदन भेजा गया था, जो कि एक वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना एवं एक सेवा निवृत्त कर्मचारी के सेवान्त लाभ भुगतान करने में लापरवाही बरतने एवं माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालन हेतु की गयी कार्रवाई में लापरवाही बरतने का द्योतक है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा निर्धारित तिथि को किस परिस्थिति में पूर्ण विस्तृत प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुए, के संबंध में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराने के स्थिति में विभाग बाध्य हो कर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

श्री पाण्डेय को सभी ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 सहित सेवान्त लाभ भुगतान हुआ है या नहीं का, अद्यतन विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ज्ञातव्य है कि श्री पाण्डेय के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश संख्या– 13838/2017 में दिनांक–24.04.2018 में पारित आदेश के आलोक में अभ्यावेदन निदेशक, पशुपालन को समर्पित किये है। जिसमें निर्धारित समय के अन्दर सकारण आदेश निर्गत किया जाना है।

अतः आपको पुनः निदेशित किया जाता है कि दिनांक–15.06.2018 को 04:00 बजे अपराह्न में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में अपने लिपिक के साथ विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर साक्ष्य सहित सशरीर उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

विश्वासभाजन

ह0/–

संयुक्त निदेशक (प0 स्वा0)।

ज्ञापांक– 11 नि0 विधि (1) – 24/2017 1796 (वि0) पटना–15, दिनांक– 13/06/2018

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड/ ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

R Singh 13.6.18

संयुक्त निदेशक (प0 स्वा0)।

05
13/06/18